कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा।

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या–287/एसएलएसए–99/2019 (हैदर/आरआई), दिनांकित–26.01.2024, में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय, गोण्डा में लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम स्थापित किया जाना है, जिसके कियान्वयन हेतु चीफ लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल एवं डिप्टी चीफ लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल के 01–01 पदों तथा असिस्टेन्ट लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल के 02 पदों पर नियुक्ति की जानी है। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा द्वारा दिनांक–02.02.2024 को विज्ञप्ति जारी की गयी थी, जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक–15.02.2024 के सायं 05:00 बजे तक थी। दिनांक–15.02.2024 को सायं 05:00 बजे तक चीफ लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल हेतु 13 आवेदन पत्र, डिप्टी चीफ लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल पद हेतु 12 आवेदन पत्र तथा असिस्टेन्ट लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल हेतु 60 आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। चयन समिति द्वारा की गयी बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सभी पदों के आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाये, जिसके सम्बन्ध में चयन समिति, लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल के निर्देश निम्न प्रकार हैं।

1. चीफ/डिप्टी चीफ/असिस्टेन्ट लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल हेतु साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन की तिथियां निम्नवत् निर्धारित हैं।

कम	पद का नाम	काउन्सिल हेतु साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन की तिथि व समय	साक्षात्कार की तिथि व समय व स्थान
1	चीफ लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल	06.03.2024 को अपराह्न 01:00 बजे	06.03.2024 को सायं 04:30 बजे, वी0सी0 रूम में
2	डिप्टी चीफ लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल	07.03.2024 को अपराह्न 01:00 बजे	07.03.2024 को सायं 04:30 बजे, वी0सी0 रूम में
3	असिस्टेन्ट लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल	कम सं0 01 से 20 तक 11.03.2024 को अपराह्न 01:00 बजे	11.03.2024 को सायं 04:30 बजे, वी0सी0 रूम में
		कम सं0 21 से 40 तक 12.03.2024 को अपराह्न 01:00 बजे	12.03.2024 को सायं 04:30 बजे, वी0सी0 रूम में
		कम सं0 41 से 60 तक 13.03.2024 को अपराह्न 01:00 बजे	13.03.2024 को सायं 04:30 बजे, वी0सी0 रूम में

2. दस्तावेज सत्यापन का कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के कार्यालय में होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु सभी आवेदक आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों की मूलप्रति तथा फोटो आईडी प्रूफ के साथ उपस्थित होंगें।
3. नियत तिथि व समय के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन तथा साक्षात्कार हेतु किसी भी आवेदक के आवेदन पर किसी भी दशा में विचार नही किया जायेगा।
4. आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/आवासीय सुविधा प्रदान नही किया जायेगा।

दिनांक–05.03.2024

Nitin Srivastava
05.03.24

(नितिन श्रीवास्तव)
अपर जिला जज/एफटीसी/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
गोण्डा।

Scanned with AnyScanner

पत्रांक : 395/डीएलएसए–जीडी/2024 दिनांक :– 05/3/24

प्रतिलिपि :–

1. माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष चयन समिति गोण्डा को एवं चयन समिति के समस्त सम्मानित सदस्यगण को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय गोण्डा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह उक्त सूचना नजारत के सूचनापट्ट पर चस्पा करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
3. श्रीमान नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह उक्त सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व जनपद न्यायालय गोण्डा के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिये सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
4. अध्यक्ष/महामंत्री, जिला एवं सिविल बार एसोसिएशन, गोण्डा को बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी गोण्डा को इस आशय के साथ प्रेषित की जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञापन कराना सुनिश्चित करें तथा विज्ञापन का पेपर कटिंग कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. डाटा इन्ट्री आपरेटर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा उक्त सूचना समस्त अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये उनके मोबाइल नम्बर पर व्हाट्स ऐप/टेक्सट मैसेज/टेलीफोनिक के माध्यम से प्रेषित करेगें।

Nitin Srivastava
05/03/24

(नितिन श्रीवास्तव)
अपर जिला जज/एफटीसी/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
गोण्डा।

Scanned with AnyScanner